

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

परिवाद संख्या - 38/2019

बड़जलास - मनोज कुमार, आर0ए0एस0

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी


सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम  
अभिहित अधिकारी, नागौर

अशोक गोदारा पुत्र भंवरलाल जाति जाट  
निवासी पडाल बास जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।  
हाल निवासी बस्सी कॉलोनी नागौर तहसील व जिला नागौर।  
फर्म-श्री कृष्णा मावा भण्डार, श्री हीराबाई मार्केट, दुकान नं. 3  
पीएचईडी सर्किल नागौर। (हाल थाना परिसर नागौर)

आदेश

दिनांक : 17.12.2020

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को दिनांक 02.12.2018 को दूरभाष पर थाना कोतवाली, नागौर द्वारा एवं डॉ. सुकुमार कश्यप, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा प्रार्थी को दिये गये निर्देशानुसार प्रार्थी कोतवाली थाना, नागौर पर पहुंचा, थाना कोतवाली द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार थाना परिसर में खड़ी गाड़ी नं. आरजे-21 जीए 9818 बोलेरो कैम्पर (रंग सफेद) में रखे पीपों में भरे हुए मावे का नियमानुसार जांच करवाने के निर्देश दिये गये। वाहन में कुल मावे व मीठे मावे के कुल 74 पीपे रखे हुए थे, ड्राईवर से पूछने पर बताया कि ये विभिन्न फर्मों का मावा भरा हुआ है। पुलिस व ड्राईवर के अनुसार फर्म के मालिकों को बुलाया हुआ था, इनमें से अशोक गोदारा फर्म श्री कृष्णा मावा भण्डार, श्री हीराबाई मार्केट, दुकान नं. 3 पीएचईडी सर्किल, नागौर (हाल थाना परिसर नागौर) की ओर से उपस्थित थे। जिन्होंने वाहन में स्वयं की फर्म के 18 पीपे मीठे मावे (मिठाई) के होने बताये। प्रार्थी को इनमें मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1064 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 980/एक्ट/2018/32 दिनांक 10.01.2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ मावा का नमूना Sub-Standard होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त अशोक गोदारा पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी पडाल बास जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल निवासी बस्सी कॉलोनी नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 18-07-2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब दिनांक 17.12.2020 को पेश किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि मेरे यहां से मावे का जो जांच हेतु सैम्पल लिया गया था। उसमें किसी प्रकार का हानिकारक तत्व नहीं पाया गया है और भविष्य में ऐसा पुनः नहीं करूंगा। अतः कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को ड्रॉप करने का निवेदन किया है।
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अप्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 980/एक्ट/2018/32 दिनांक 10.01.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा का नमूना Sub-Standard पाया गया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अशोक गोदारा पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी पडाल बास जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल निवासी बस्सी कॉलोनी नागौर पर रु. 60,000/- अक्षरे रूपये साठ हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।
4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(मनोज कुमार)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
नागौर (राजस्थान)